वसूली करते रंगे हाथों पकड़ा गया आउटसोर्स कर्मीः एफआईआर दर्ज

- बीवाईपीएल विजिलेंस टीम के अधिकारी ने नाम और भेष बदलकर ठग को दबोचा
- बिजली चोरी के नाम पर महिला से मांग रहा था 10 हजार रूपये

नई दिल्लीः 14 अगस्त, 2012। बीवाईपीएल ने, साइट वेरिफिकेशन व चेक कलेक्शन के काम में लगी आउटसोर्स कंपनी आरएस असोसिएट्स के एक कर्मचारी को अवैध ढंग से वसूली करते रंगे हाथों पकड़ा है। वह कैंसर से पीड़ित एक महिला से बिजली चोरी के नाम पर 10 हजार रूपये ढगने की कोशिश कर रहा था। बीवाईपीएल विजिलेंस टीम का एक अधिकारी अपना नाम और भेष बदलकर, ढगी करने वाले व्यक्ति तक पहुंचा और, उसके बाद टीम ने उसे पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ठगी करने वाले इस आउटसोर्स कर्मचारी का नाम रंजन है। न्यू उस्मानपुर पुलिस थाने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। साथ ही, आउटसोर्स कंपनी से कहकर उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। सीधे–सादे और कैंसर पीड़ित उपभोक्ता को ढगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे इस व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, उस्मानपुर इलाके में रहने वाली एक महिला के घर आउटसोर्स कंपनी आरएस असोसिएट्स का कर्मचारी– रंजन पहुंचा, और अवैध तरीके से उसके मीटर व घर के फोटो खींचने लगा। जब कैंसर पीड़ित इस महिला ने पूछा, तो रंजन ने कहा कि उसके यहां बिजली चोरी हो रही है। उसने कहा कि महिला पर भारी जुर्माना किया जाएगा, और उसे जेल भी होगी। लेकिन यदि महिला उसे 10 हजार रूपये दे, तो वह मामले को खत्म कर सकता है। उसने महिला के पास एक मोबाइल नंबर– 989194 7471 भी छोड़ा, और कहा कि पैसे देने के लिए महिला उससे इस नंबर पर संपर्क करे। लेकिन महिला को कुछ शक हुआ कि क्योंकि पिछले दिनों उसने अखबारों में बीएसईएस की यह अपील पढ़ी थी कि किसी भी तरह का नकद भुगतान सिर्फ बीएसईएस ऑफिसों में ही किया जा सकता है।

11 अगस्त को महिला ने बीवाईपीएल की विजिलेंस टीम से संपर्क किया। विजिलेंस टीम ने आगे की रणनीति बनाई और, आउटसोर्स कर्मी द्वारा छोड़े गए मोबाइल नंबर– 989194 7471 पर संपर्क किया। विजिलेंस टीम के ऑफिसर ने अपना नाम और भेष बदलकर एक उपभोक्ता की तरह उस आउटसोर्स कर्मी से बात की, और कहा कि वह कैंसर पीड़ित महिला के मामले को रफा–दफा करवाने के लिए 10 हजार रूपये देने का तैयार है। आउटसोर्स कर्मी ने उसे कल यानी 13 अगस्त को, उस्मानपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आकर पैसे देने को कहा। विजिलेंस ऑफिसर वहां पहुंचा और आउटसोर्स कर्मी को 2 हजार रूपये दिए। पहले से ही रंग लगे रूपयों को आउटसोर्स कर्मी ने जैसे ही पकड़ा, आसपास ही छिपकर खड़ी पूरी विजिलेंस टीम ने उसे दबोच लिया।

उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर, उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। साथ ही, आउटसोर्स कंपनी आरएस असोसिएट्स से कहकर इस कर्मचारी को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। बीवाईपीएल के मुताबिक, ढगी में लगे इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बीएसईएस ने अपने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे ऐसे असामाजिक तत्वों से सावधान रहें, जो उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं और साथ ही, कंपनी की छवि भी खराब कर रहे हैं। कंपनी का यह भी कहना है कि मामला चाहे कुछ भी हो, उपभोक्ता ऐसे तत्वों के दबाव या झांसे में न आएं और उनके झूठे आश्वासनों में न फंसें। किसी भी शर्त पर उन्हें नकद पैसे न दें। एन्फोर्समेंट से संबंधित सभी तरह के जुर्माने, फाइन आदि का भुगतान बीएसईएस ऑफिसों में ही हो सकता है।

सलाह

उपभोक्ताओं का यह भी सलाह दी गई है कि जब भी कोई व्यक्ति उनके यहां बीएसईएस प्रतिनिधि के रूप में पहुंचता है, तो सबसे पहले उनका पहचान पत्र देखें। सही पहचान पत्र में ये तथ्य होने चाहिएः 1. बीएसईएस लोगो, 2. बीएसईएस होलोग्राम, 3. जारी होने की तारीख, 4. वैधता (वैलिडिटी), 5. कर्मचारी की तस्वीर, 6. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, 7. कर्मचारी के हस्ताक्षर, 8. कर्मचारी संख्या/ पहचान पत्र संख्या, 9. ठेकेदार का नाम/ लोगो/ पता, 10. लेमिनेशन

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआपीएल व बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

.....